सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
******

मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 26 जून, 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

I. संस्थागत श्रेणी :

(क) मद्यपान तथा नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरूपयोग के पीड़ितों के लिए पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के वास्ते सर्वश्रेष्ठ एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए)।

(ख) मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण के लिए कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय।

(ग) जागरूकता सृजन तथा मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान।

(घ) मद्यपान और नशीली दवा (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ गैर-लाभकारी संस्थान, जो उपर्युक्त क्र.सं.(i), (ii) और (iii) के अलावा हो।

(ङ) सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान अथवा नवोन्वेषण।

(च) सर्वश्रेष्ठ जागरूकता अभियान।

II. व्यक्तिगत श्रेणी :

(छ) किसी व्यक्ति विशेष की उत्कृष्ट उपलब्धि।

I. आवेदन के लिए प्रक्रिया :

1. आवेदन निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। पुरस्कार की

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम, 2022 का सम्पूर्ण ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in और ई-अनुदान पोर्टल (https://grants-msje.gov.in/ngo-login) पर देखा जा सकता है।

2. निम्नलिखित एजेंसियां अथवा व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को नामित और अनुशंसित करने लिए प्राधिकृत हैं:

(क) मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग और उनकी स्वायत्त संस्थाएं

(ख) संबंधित मुख्य मंत्री या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उप-राज्यपालों के अनुमोदन से राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(ग) नशा-मुक्ति के क्षेत्र में स्वयं के क्षेत्राधिकार के भीतर कार्यरत राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियां (एससीएलए)

(घ) राष्ट्रीय नशा-मुक्ति पुनर्वास परामर्शदात्री समिति (एनसीसीडीआर) के सदस्य

(ङ) प्रख्यात शीर्ष चैम्बर्स यथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसंघ, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग एसोशिएट चैम्बर आदि

(च) भूतपूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), विश्वविद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), आदि जैसे संगठन; और

(ज) उस जिले का जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट जहां संस्था अथवा व्यक्ति विशेष कार्यरत है

(झ) आयुक्तालय के आयुक्त जहां संस्था अथवा व्यक्ति कार्यरत हैं।

3. केवल ऐसे नामांकनों अथवा अनुशंसाओं पर विचार किया जाएगा जो समुचित औचित्य के साथ समर्थित इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अधिकृत एजेंसियों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त होंगे।

4. आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में **05 मई, 2022 से 20 मई, 2022** तक राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल, गृह मंत्रालय **https://awards.gov.in/** पर ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए।

5. अंतिम तारीख के पश्चात और/अथवा निर्धारित प्राधिकारी/व्यक्तियों की अनुशंसा के बिना आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आवेदक, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों-2020 और 2022 के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार-2022 के लिए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल के माध्यम से विभाग में नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।

नोट: जो आवेदक इस वर्ष दिनांक 20.04.2022 तक राष्ट्रीय पुरस्कार-2022 के लिए हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में ई-मेल के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं उन्हें भी **https://awards.gov.in/ पर राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल, गृह मंत्रालय** पर अपने आवेदन अपलोड करने की आवश्यकता है।